न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 29 / 2022

जोगेन्द्र पुत्र श्री रणजीत सिंह उम्र 46 वर्ष जाति जाट निवासी हनुमानपुरा (तिलोका का बास) तहसील मण्डावा जिला झुझुनू

वादी

बनाम

1. हरलाल पुत्र भोमाराम उम्र 81 वर्ष जाति जाट निवासी हनुमानपुरा (तिलोका का बास) तहसील मण्डावा जिला झुझुनू
2. किशोरी देवी पुत्री भोमाराम पत्नी महावीर सिंह उम्र 68 वर्ष जाति जाट हाल निवासी सिगड़ी तहसील मण्डावा जिला झुझुनू
3. जमना देवी पुत्री भोमाराम पत्नी रधुवीर सिंह उम्र 85 साल जाति जाट हाल निवासी कोलिण्डा का बास तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
4. मंजू पत्नी करणीराम उम्र 48 साल जाति जाट निवासी हनुमानपुरा (तिलोका का बास) तहसील मण्डावा जिला झुझुनू
5. रजनीश कुमारी पुत्री करणीराम उम्र 24 साल जाति जाट निवासी हनुमानपुरा (तिलोका का बास) तहसील मण्डावा जिला झुझुनू
6. धापा देवी पत्नी रणजीत सिंह उम्र 72 साल जाति जाट निवासी हनुमानपुरा (तिलोका का बास) तहसील मण्डावा जिला झुझुनू
7. विमला पुत्री रणजीत सिंह पत्नी धर्म सिंह उम्र 45 साल जाति जाट निवासी हनुमानपुरा (तिलोका का बास) तहसील मण्डावा जिला झुझुनू
8. शुभकरणी पुत्री रणजीतसिंह पत्नी दलीप उम्र 54 साल जाति जाट निवासी खेमू की ढ़ाणी तहसील चिड़ावा जिला झुझुनू
9. मनकोरी पत्नी रामनाथ उम्र 81 साल जाति जाट निवासी हनुमानपुरा (तिलोका का बास) तहसील मण्डावा जिला झुझुनू
10. जयकरणी पुत्री रामनाथ पत्नी सतवीर उम्र 65 साल जाति जाट निवासी शिवदयालपुरा तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
11. सुप्यार पुत्री रामनाथ पत्नी राकेश उम्र 39 साल जाति जाट हाल निवासी पदमपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुझुनू
12. सुमित्रा पुत्री रामनाथ पत्नी रोहिताश्व उम्र 64 साल जाति जाट हाल निवासी सैनिक बस्ती मेक–1 आई अस्पताल के पीछे चुरू तहसील व जिला चुरू
13. सरिता देवी पुत्री रामनाथ पत्नी महेन्द्र कुमार भाकर उम्र 51 साल जाति जाट हाल निवासी सिरसली जिला चुरू
14. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत धोषणार्थ बंटवारा व खाता विभाजन

निर्णय

निर्णय दिनांक 12.04.2022

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम हनुमानपुरा पटवार हल्का बिरमी की सरहद में भूमि हाल खसरा न0 152 रकबा 0.27 है0, ख0न0 153 रकबा 0.01 है0, ख0न0 154 रकबा 2.99 है0, ख0न0 81 रकबा 3.01 है0 व ख0न0 82 रकबा 1.16 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 7.44 है0 भूमि अवस्थित है इसके अतिरिक्त ग्राम ढ़ाणी चारण पटवार हल्का बिरमी में ख0न0 75 रकबा 1.83 है0 भूमि अवस्थित है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 की संयुक्त खातेदारी काश्त की पैतृक भूमि है। इस भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 8 का प्रत्येक का पृथक–पृथक रूप से 1/20 हक हिस्सा है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 काप्रत्येक का पृथक–पृथक रूप से 1/5 हक हिस्सा है, प्रतिवादीगण 4 व 5 का प्रत्येक का पृथक–पृथक रूप से 1/60 हक हिस्सा है तथा प्रतिवादीगण 9 लगायत 13 प्रत्येक का पृथक–पृथक रूप से 1/30 हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 8 व 10 लगायत 13 ने वाद पत्र में वर्णित भूमि में से आपसी सहमती से अपना हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 9 के हक में छोड़ दिया है। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 व 10 लगायत 13 द्वारा अपना हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 9 के हक में छोड़ने के बाद वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 9 ने अपासी सहमती से अपनी सहुलियत के अनुसार दोनो कृषि भूमियों का बंटवारा कर रखा है। जिसके अनुसार वादी ग्राम हनुमानपुरा के ख0न0 152, 153 व 154 कुल कता 3 कुल रकबा 3.27 है0 पर काबिज काश्त है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 ग्राम ढ़ाणी चारण की सम्पूर्ण भूमि ख0न0 75 रकबा 1.83 है0 व ग्राम हनुमानपुरा स्थित भूमि ख0न0 81 रकबा 3.01 है0 में से 1.282 है0 पर काबिज काश्त है। तथा प्रतिवादी संख्या 9 ग्राम हनुमानपुरा की भूमि ख0न0 81 रकबा 3.01 है0 में से 1.728 है0 व ख0न0 82 रकबा 1.16 है0 पर काबिज काश्त है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 0 9 ने उक्तानुसार आपसी सहमती से बाहमी बंटवारा कर रखा है ओर उसी अनुसार काबिज काश्त है। अंत में उक्तानुसार ग्राम हनुमानपुरा व ढ़ाणी चारण स्थित वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 की संयुक्त खातेदारी भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 9 को बाहमी बंटवारे अनुसार खातेदार काश्तकार धोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 9 के मध्य अलग से खाता विभाजन करने का आदेश फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 व 11 लगायत 13 की ओर से इकबाली जवाब पेश किया गया तथा वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के अनुरूप वाद वादी डिक्री किये जाने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं होना जाहीर किया। प्रतिवादी संख्या 10 विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अनुपस्थित। प्रतिवादीगण की तामिली विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार सिद्दि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

जवाब देही पूर्ण होने पर विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता ने वाद पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये वाद वादी स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि में चाही

द्वी अनुसार वाद वादी डिक्री किया जाकर अलग से खाता विभाजन करने का निवेदन
।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। वादी द्वारा ग्राम हनुमानपुरा की सरहद में स्थित भूमि हाल खसरा न0 152 रकबा 0.27 है0, ख0न0 153 रकबा 0.01 है0, ख0न0 154 रकबा 2.99 है0, ख0न0 81 रकबा 3.01 है0 व ख0न0 82 रकबा 1. 16 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 7.44 है0 एवं ग्राम ढ़ाणी चारण की सरहद में स्थित भूमि ख0न0 75 रकबा 1.83 है0 में वादी को ग्राम हनुमानपुरा के ख0न0 152, 153 व 154 कुल कता 3 कुल रकबा 3.27 है0 तथा प्रतिवादी संख्या 1 को ग्राम ढ़ाणी चारण की सम्पूर्ण भूमि ख0न0 75 रकबा 1.83 है0 व ग्राम हनुमानपुरा स्थित भूमि ख0न0 81 रकबा 3.01 है0 में से 1.282 है0 तथा प्रतिवादी संख्या 9 को ग्राम हनुमानपुरा की भूमि ख0न0 81 रकबा 3.01 है0 में से 1.728 है0 व ख0न0 82 रकबा 1.16 है0 का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाकर तदनुसार अलग खाता विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। अन्य प्रतिवादीगण द्वारा तदनुसार वाद डिक्री किये जाने में कोई आपति नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 व 11 लगायत 13 द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाब एवं प्रदत सहमती के प्रकाश में वादपत्र में वादी द्वारा चाही गई सिद्धि अनुसार वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम हनुमानपुरा की सरहद में स्थित भूमि हाल खसरा न0 152 रकबा 0.27 है0, ख0न0 153 रकबा 0.01 है0, ख0न0 154 रकबा 2.99 है0, ख0न0 81 रकबा 3.01 है0 व ख0न0 82 रकबा 1.16 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 7.44 है0 एवं ग्राम ढ़ाणी चारण की सरहद में स्थित भूमि ख0न0 75 रकबा 1.83 है0 में वादी को ग्राम हनुमानपुरा के ख0न0 152, 153 व 154 कुल कता 3 कुल रकबा 3.27 है0 तथा प्रतिवादी संख्या 1 को ग्राम ढ़ाणी चारण की सम्पूर्ण भूमि ख0न0 75 रकबा 1.83 है0 व ग्राम हनुमानपुरा स्थित भूमि ख0न0 81 रकबा 3.01 है0 में से 1.282 है0 तथा प्रतिवादी संख्या 9 को ग्राम हनुमानपुरा की भूमि ख0न0 81 रकबा 3.01 है0 में से 1.728 है0 व ख0न0 82 रकबा 1.16 है0 का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार खाता विभाजन करने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार ~~मलसीसर~~ मण्डावा को 1000/— रूपये फीस पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 लगायत 21 के अनुसार पक्षकारान की मौजूदगी में वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 9 के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं मौके पर कब्जेकाश्त के अनुसार रास्ते का युक्तियुक्त प्रावधान रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। मौका फीस वादी द्वारा अदा की जावेगी। तहसीलदार ~~मलसीसर~~ मण्डावा को तहरीर जारी हो। तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साधुराम जाट) 12/4

उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी

मलसीसर